भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 87
25.11.2024 को उत्तर के लिए

अवैध खनन के कारण पर्यावरण क्षरण

87. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से झारखंड राज्य में अवैध खनन माफिया द्वारा नदी घाटियों को नुकसान पहुँचाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में दोषी राज्य और राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन अवैध खनन स्थलों का ब्यौरा क्या है, जहाँ खनन गतिविधियाँ की जाती हैं और जो पर्यावरण क्षरण और खतरे पैदा कर रहे हैं; और

(घ) देश में अवैध खनन स्थलों की समीक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और राज्य सरकारें सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने तथा उनसे जुडे उद्देश्यों के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं। तदनुसार, अवैध खनन पर नियंत्रण, राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो संधारणीय रेत प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के पूरक हैं ताकि देश में रेत खनन की पहचान से लेकर उपभोक्ताओं और आम जनता द्वारा इसके अंतिम

उपयोग तक इसे विनियमित किया जा सके और प्रत्येक चरण में रेत खनन की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम सेवाओं और नवीनतम तकनीकों के माध्यम से अवैध खनन की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। यह दस्तावेज़ नियामक प्रावधान (प्रावधानों) के प्रवर्तन के लिए जल स्तर और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों सहित महत्वपूर्ण जानकारी के संग्रहण के लिए एक दिशानिर्देशक के रूप में कार्य करता है और यह संधारणीय रेत खनन की प्रभावी निगरानी और अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए महत्वहपूर्ण अवसंरचनात्मरक अपेक्षाओं पर भी प्रकाश डालता है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खनिजों के खनन के कारण पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना शामिल है। ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित परियोजनाओं के लिए आधारभूत डेटा सृजन पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्ययन वैज्ञानिक रूप से विकसित और व्यापक रूप से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रभाव पद्धति का उपयोग करके अध्ययन/परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं पर प्रभावों का मूल्यांकन करने और इनका अनुमान लगाने में मदद करता है, जिसमें वायु गुणवत्ता, जल, ध्वनि, स्थलीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक मापदंड शामिल हैं।

*****